उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-152/2019/2397/92-2-19-04टीएसी/2017
लखनऊ:: दिनांक:: 22 अक्टूबर 2019

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सुलतानपुर में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत रहते हुये सम्पादित कराये गये कतिपय निर्माण कार्यो में परिलक्षित अनियमितता हेतु मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 की जांच आख्या दिनांक 07-11-2017 में धोपाप घाट लम्भुआ गोमती नदी के किनारे घाट निर्माण कार्य में परिलक्षित शासकीय क्षति मु0 रू0 485.25 हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के पत्र सं0-183/92-2-18-04टीएसी/2017 दिनांक 24-01-2018 द्वारा श्री जावेद अहमद, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-सुलतानपुर का उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10(2) के अंतर्गत उनका स्पष्टीकरण मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 17-09-2018 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

2- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी द्वारा उनके विरूद्ध परिलक्षित शासकीय क्षति मु0 रू0 485.25 राजकीय कोष में जमा कर दिये जाने तथा उनके अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30-04-2016 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उन्हें प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का अवसर न रह जाने के दृष्टिगत श्री जावेद अहमद, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता के विरूद्ध शासन के पत्र दिनांक 24-01-2018 द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-152/2019/2397/(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ !
2- श्री जावेद अहमद, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-सुलतानपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in